


बिहार BIHAR

W 615887

क्रमांक 7231 तिथि 15.7 मूल्य 1000/- सार्ट स०

2017

क्रेता का नाम व पता

ओम विजय कुमार, मुद्रांक विक्रेता
ल० सं०-25/87, समाहरणालय, पटना

11 JUL 2017

No. 694 Date 15.9.17

# उन्नयन एग्रीमेंट

( DEVELOPMENT AGREEMENT )

यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक 13 सितम्बर 2017 को मुजफ्फरपुर में सम्पादित हुआ |

1. डा० नन्द किशोर प्रसाद सिंह , सुपुत्र स्व० विद्यापति सिंह निवासी - कच्ची पक्की, अतरदह, मुजफ्फरपुर राज्य - बिहार, नागरिकता - भारतीय
2. श्रीमती अंजनी कुमारी सुपुत्री स्व० विद्यापति सिंह, निवासी - ग्राम - मालपुर समस्तीपुर , राज्य - बिहार, नागरिकता - भारतीय
3. श्रीमती रंजना, सुपुत्री स्व० विद्यापति सिंह निवासी - - ग्राम - मालपुर समस्तीपुर , राज्य - बिहार, नागरिकता - भारतीय

जिन्हें आगे सम्मिलित रूप से जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया हैं | (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकुल होने अथवा हटाये जाने कि स्थिति को छोड़ कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी शामिल करेंगे) जिसे इस एग्रीमेंट में सम्मिलित रूप से प्रथम पक्ष कहा गया है |

एवं

रेडब्रिक इन्फ्राविल्ड प्राइवेट लिमिटेड प्रतिनिधित्व इसके डायरेक्टर श्री सुलभ कुमार सिंह पिता स्व० राजेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे हैं जिसका कार्यालय 162-A, पाटलिपुत्र कॉलनी, पटना - 800013 में है, ( जिसमे उनके कार्यालय के

Redbrick Infrabuild Private Limited
Sulav Kumar Singh
Director

NOTARY
ARUN KUMAR
PATNA, BIHAR
GOVT. OF BIHAR

Nand Kishore Pd Singh
05/10/017

Ranjana
5.10.17

Anjani kumari
5.10.17

Scanned by CamScanner

Notary, Patna

I hereby authenticate this deed / document which is executed by Sri

in favour of

Under Rule 8 of Notaries Act 1952 and Notaries Rule 1956.

Identified by Sri ... Advocate

Date 15 Month 11 2018 Year

15/11/2018

ARUN KUMAR

Development

Dr Madhu Pandey (Shri Anjani Kumar)

(Sri Ranjana Kumar)

Sri Sunil Kumar Red Brick Industrial Building Pvt Ltd

Sulabh Kumar

Director

NOTARY

ARUN KUMAR

PATNA, BIHAR

INDIA

Regd No.- 7420J

GOVT. OF BIHAR

Scanned by CamScanner

अधिन्यासी, नामित एवं उतराधिकारी इत्यादी सम्मिलित है) जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष डेवलपर/भवन निर्माता/बिल्डर इत्यादी के नाम से सम्बोधित किया गया है। के बीच सम्पादित हुआ है।

अनुसूची - A

सम्पति का विवरण (टाइटिल समेत )

यह कि जमीन मालिक का नाम - श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, मौजा - मिर्जापुर वन्दुआर, प्रगना वलिया, थाना नंबर- 342, तौजी न० - 715 , अंचल व नगरपालिका वेगुसराय, वार्ड न० - 18, जिला - वेगुसराय जिसका ज़मांबंदी न० - 3890 है।

यह सम्पति वर्तमान ज़मीन मालिक को सब जज (प्रथम) न्यायालय वेगुसराय के द्वारा बंटवारा वाद संख्या (T.S. 94/04) में पारित आदेश के तहत प्राप्त हुआ जो कि न्यायालय के आदेश के अनुसूची - III में अंकित है । ज़मीन मालिक सम्पति पर स्वत्व धारित करते हुए निविर्वाद रूप से शांतिपूर्वक दखल-कब्ज़ा में चले आ रहें है जिसका कि खाता, खेसरा तथा रकवा निम्न है :-

| खाता | खसरा न० (प्लाट न०) | रकवा |
|---|---|---|
| 197 | 84 | 11 धुर |
| 392 | 85 | 10 कट्ठा 14 धुर |

अनुसूची - B

सम्पति का विवरण (टाइटिल समेत )

यह कि जमीन मालिक का नाम - श्रीमती अंजनी कुमारी, मौजा - मिर्जापुर वन्दुआर, प्रगना वलिया, थाना नंबर- 342, तौजी न० - 766 , अंचल व नगरपालिका वेगुसराय, वार्ड न० - 18, जिला - वेगुसराय, जिसका जमाबंदी न० - 1699 है।

यह सम्पति वर्तमान जमीन मालिक कि खरीदगी सम्पति है जो कि दिनांक 27-09-1991 को श्री मति कुमारी रंजना सिंह पति का नाम नाम श्री मनीष कुमार सिंह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से ख़रीदा गया जिसका कि दस्तावेज संख्या 10476 है।

जमीन मालिक सम्पति पर स्वत्व धारित करते हुए निविर्वाद रूप से शांतिपूर्वक दखल-कब्ज़ा में चले आ रहें है जिसका कि खाता, खेसरा तथा रकवा निम्न है :-

Nand Kishore Pd Singh

Raj ora

Anjani Kumari

5.10.17

NOTARY
ARUN KUMAR
PATNA, BIHAR
INDIA
GOVT. OF BIHAR

Redbrick Infrabuild Private Limited
Director

Scanned by CamScanner

| खाता | खसरा न० (प्लाट न०) | रकवा |
|---|---|---|
| 392 | 85 | 2 कट्ठा |

अनुसूची - C

सम्पति का विवरण (टाइटिल समेत )

यह कि जमीन मालिक का नाम - श्रीमती रंजना, मौजा - मिर्जापुर वन्दुआर, प्रगना वलिया, थाना नंबर- 342, तौजी न० - 766 , अंचल व नगरपालिका वेगुसराय, वार्ड न० - 18, जिला - वेगुसराय, जिसका जमाबंदी न० - 37/138 है |

यह सम्पति वर्तमान जमीन मालिक कि खरीदगी सम्पति है जो कि दिनांक 11-08-1979 को रामचन्द्र प्रसाद सिंह पिता का नाम नाम स्व० लालो मिस्त्री से रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र के माध्यम से ख़रीदा गया | खरीदगी के समय जमीन मालिक नाबालिग थी जिनका नाम क्रेता के कॉलम मे कुमारी रंजना सिंह पुत्री श्री विद्यापति सिंह था |

जमीन मालिक सम्पति पर स्वत्व धारित करते हुए निविर्वाद रूप से शांतिपूर्वक दखल-कब्ज़ा में चले आ रहें है जिसका कि खाता, खेसरा तथा रकवा निम्न है :-

| खाता | खसरा न० (प्लाट न०) | रकवा |
|---|---|---|
| 392 | 85 | 03 कट्ठा 10 धुर |

कुल रकवा - 16 (सोलह) कट्ठा 15 (पंद्रह ) धुर

चौहद्दी

उत्तर : 20 फीट ब्रांच रोड

दक्षिण : वशिष्ट सिंह बैगेरह

पूरब : सत्य नारायण प्रसाद सिंह

पश्चिम : 30 फीट मेन रोड और डा० रामनरेश सिंह , तिरवेनी सिंह एवं प्रमोद सिंह बैगेरह

Redbrick Infrabuild Private Limited
Sulav Kumar Singh
Director

लेख्य प्रकार :- उन्नयन एग्रीमेंट (DEVELOPMENT AGREEMENT ) |

NOTARY
ARUN KUMAR
PATNA, BIHAR
Regd. No.- 74201
GOVT. OF BIHAR

Nand Kishore Pd Singh
Ranjana

Anjani Kumari
5.10.17

Scanned by CamScanner

यह कि अनुसूची - A , B और C में वर्णित कुल सम्पति जमीन मालिक की सम्पति है | इस तरह जमीन मालिक प्रथम पक्ष लेख्य सम्पति का अन्तरण एवं किसी भी प्रकार का इकरारनामा इत्यादी करने के लिए सक्षम हैं | जिसका विवरण अनुसूची A, B और C में क्रमशः दिया गया है |

प्रथम पक्ष उपरोक्त जमीन पर भूकंपरोधी बहुमंजिला बिल्डिंग बनवाना चाहते है और इस उद्देश्य हेतु इसे ऊपर वर्णित जमीन (अनुसूची - A , B और C ) पर बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर /डेवलपर (द्वितीय पक्ष ) से अपने पूर्ण होशो - हवास में बिना किसी बाहरी दबाव के तथा अपने परिवार की सम्पूर्ण सहमति से निम्नलिखित तथ्यों एवं शर्तों पर एग्रीमेंट किया गया है :-

1. प्रथम पक्ष यह धोषणा करते है कि यह भूखंड पूर्णत : साफ सुथरा अर्थात सीलिंग, एक्युजिसन आदि से मुक्त है तथा इन पर किसी तरह का कर्ज, बकाया जा ऋण-भार नहीं है साथ ही इस जमीन पर किसी अन्य सरकारी विभाग से भी अटेचमेंट या एक्युजिसन से संबधित कोई सूचना नहीं है | इस जमीन से सबंधित किसी प्रकार का कोई केस न्यायालय में नहीं है | अगर इस जमीन के टाइटिल, पोजेसन तथा दस्तावेज सम्बन्धी कोई अड़चन हो तो प्रथम पक्ष इस एग्रीमेंट के बाद हुए सभी हर्जा - खर्चा तथा हर्जाना द्वितीय पक्ष को देंगे | यह जमीन पूर्णत : बिक्री योग्य है, और इस भूखंड पर बहुमंजिला ईमारत के नक्शा पास होने में किसी तरह का बाधा या अडचन नहीं होगा | प्रथम पक्ष यह भी धोषणा करते है कि वे इस भूखंड के पूर्णत : मालिक है तथा उन्होनें कभी इस जमीन को न तो बेचा है, न दान की है, न ही रेहन रखा है, न तो इस तरह का कोई अन्य इकरारनामा (एग्रीमेंट) हुआ है या वर्तमान में लागू है |
2. यह कि प्रथम पक्ष इस एग्रीमेंट के बाद, द्वितीय पक्ष एवं इनके स्टाफ इंजिनीअर, आर्किटेक्त, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह के सहायता प्रदान करेंगे जैसे उक्त भूखंड पर जाने, रहने, प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बोल्डिंग मेटेरियल जमा करने हेतु एवं अन्य विकास पूर्व कार्य जमीन मापने, बौन्ड्री वाल करने हेतु इत्यादी | इन कार्यों में जो खर्च होगा वह द्वितीय पक्ष करेंगे |
3. यह कि प्रथम पक्ष प्लौट के ऊपर द्वितीय पक्ष को पूर्णत : खाली अवस्था में सौप देंगे | द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि कंस्ट्रक्शन के दरम्यान वह जमीन को अपने हिसाब से इस्तेमाल में लायेंगे | उन्हें साईन बोर्ड लगाने, साईट आफिस बनाने, कंस्ट्रक्शन सामान रखने, लेबर रूम बनाने आदि कि पूर्ण आजादी होगी |
4. यह कि पक्ष भी धोषणा करते है, कि यदि किसी प्रकार का झूठा दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखंड या भूखंड के अंश पर स्वामित्व संबधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निबटायेगे और इस कारण से निर्माण में हुई बिलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ेगे | यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो वह प्रथम पक्ष अपनी ओर से सलटेंगे तथा निर्माण प्रक्रिया पर कोई रुकावट या अवरोध नहीं पैदा करने देंगे या करेंगे |
5. यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि भवन निर्माण के बाद निर्मित भवन में प्रथम पक्ष का 45 (पैंतालिश) प्रतिशत हिस्सा होगा

Redbrick Infrabuild Private Limited
Director

NOTARY
ARUN KUMAR
PATNA, BIHAR
GOVT. OF BIHAR

Nand Kishore Pd Singh
Ranjana

Anjani Kumari
5.10.17

Scanned by CamScanner

एवं द्वितीय पक्ष का 55 (पचपन) प्रतिशत हिस्सा होगा तथा कौमन एरिया के इस्तेमाल का अधिकार सभी को होगा।

6. यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि सरकारी ऑथोरिटी के द्वारा नक्शा पास होने के पश्चात दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपना हिस्सा तय कर लेंगे तथा उसपर दस्तखत कर कार्य को आगे बढाएंगे।

7. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि निर्मित भवन के मेंटेनेन्स, संचालन पार्किंग, प्रबंधन तथा निर्णय लेने का अधिकार द्वितीय पक्ष के पास होगा तथा प्रथम पक्ष इसमें सहयोग करेंगे।

8. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि भवन निर्माण से सम्बन्धित निर्णय जैसे आर्किटेक्चर, सामग्री, एवं फिटिंग्स का चयन करने कि जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष की होगी परन्तु द्वितीय पक्ष को इस का ध्यान रखना होगा कि सभी कार्य सरकार के नियमो के अनुरूप हो।

9. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि ऊपर वर्णित भूखंड स्वामी के अलावा इसमे और किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नहीं है, जैसे कोई अन्य भाई, भतीजा, बहन इत्यादी।अगर ऐसा होता भी है तो प्रथम पक्ष अपने हिस्से में से या अपनी किसी अन्य सम्पति से एसे दावे को पूरा करेंगे तथा उसका निष्पादन करेंगे द्वितीय पक्ष पर इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी तथा भवन निर्माण इससे प्रभावित नहीं होगा।

10. यह कि इस भूखंड पर बिल्डर द्वारा भवन निर्माण करवाने हेतु स्वीकृत होने वाले नक्शा या अन्य किसी कागजात जहां जमीन मालिक के दस्तखत की आवश्यकता होगी वहाँ प्रथम पक्ष दस्तखत करेंगे तथा बिल्डर नक्शों का छाया प्रति जमीन मालिक को दे देंगे और क़ानूनी प्रक्रिया में प्रथम पक्ष सम्पूर्ण सहयोग करेंगे।

11. यह कि प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि समय-समय पर जरूरत पड़ने वाला सभी तरह के पेपर, डीड एवं अन्य कागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगें और द्वितीय पक्ष भी इस बात पर सहमत है कि समय-समय पर जरुरत पड़ने वाले सभी तरह के पेपर, डीड एवं अन्य कागजात प्रथम को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रथम पक्ष रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के पूर्व बिल्डर को अपनी उक्त लेख्य जमीन से संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा निगर्त जमाबंदी रसीद एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देंगे।

12. यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं और वचनबद्ध हैं कि वे बिहार सरकार के सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे।

13. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि अपने - अपने हिस्से पर निर्णय लेने का अधिकार जैसे स्वेंम संचालित करना, लीज पर लगाना, किराया लगाना, सेल कर विक्रय पत्र निष्पादित करना आदि सम्बन्धित पक्षों के पास होगा तथा कोई पक्ष दूसरे के हिस्से में दखलअंदाजी नहीं करेंगे।

14. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि कोरिडोर, सेट बैक, सीढ़ी इत्यादि पर सभी पक्षों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा और व्यक्तिगत रूप से इस पर किसी का दावा नहीं रहेगा।

15. यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि डेवलपमेंट से जुड़े सभी तरह के खर्चों का निष्पादन इस एग्रीमेंट के तिथि से डेवलपर यानि कि

Redbrick Infrabuild Private Limited
Sulav Kumar Singh
Director

Nand Kishore Pd Singh
Ranjana
Anjani Kumari
5.10.17

NOTARY
ARUN KUMAR
PATNA BIHAR
Regd. No.- 74201
GOVT. OF BIHAR

Scanned by CamScanner

द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा परन्तु एग्रीमेंट के पहले जमीन पर बकाया राशी अथवा अन्य प्रकार कि जवाबदेही प्रथम पक्ष की ही होगी|

16. यह कि नकशा स्वीकृति के पश्चात् दुबारा भवन निर्माण में मंजिलो में बढ़ोतरी या संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थिति में नव स्वीकृत या नव निर्मित क्षेत्र में इस एग्रीमेंट के पारा संख्या - 5 के अनुसार जमीन मालिक का 45 % (पैंतालिस प्रतिशत) का एवं (द्वितीय पक्ष ) डेवलपर का 55% (पचपन प्रतिशत) का हिस्सा होगा |

17. यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए है कि भवन में जमीन मालिक और द्वितीये पक्ष के बीच आनुपातिक भागों के आवंटन करने और इस एग्रीमेंट के अनुसार विधि पूर्वक कार्य करने सम्बन्धी जिम्मेदारी और अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा तथा दोनों पक्ष यह स्वीकार करतें हैं कि पास किये गये नक्से के हिसाब से FAR के मुताबिक अपार्टमेंट परिसर के किसी भी भाग में दोनों पक्षों का हिस्सा आवंटित होगा, यह जरूरी नहीं है कि प्रथम पक्ष (जमीन मालिक )को आवंटित हिस्सा उसकी जमीन पर बने भाग में ही आवंटित हो, वह FAR के अनुसार आनुपातिक रूप से मिलेगा |

18. दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि भवन निर्माण नक्शा पास होने कि तिथि से साढे तीन साल की अवधि में समाप्त किया जायेगा | प्रतिकूल परिस्थिति में छः माह का अतिरिक्त समय दिया जायेगा | इसके पश्चात दोनों पक्षों द्वारा इस अवधि को बढाया जा सकता है | भवन निर्माण की अवधि में उस समय को नहीं जोड़ा जायेगा जिसपर बिल्डर का नियंत्रण न हो जैसे दैवकृत घटना , प्राकतिक आपदा, सरकारी आदेश, क़ानूनी अड़चन, जमीनी विवाद, भूकंप इत्यादि |

19. द्वितीय पक्ष यह घोषणा करते है कि अथॉरिटी के नक्शा पास होने के मुताबिक भवन निर्माण का कार्य समाप्त होगा । भवन निर्माण के पश्चात प्रथम पक्ष का पैंतालिस प्रतिशत हिस्सा और द्वितीय पक्ष का पचपन प्रतिशत हिस्सा आवंटित होगा ।

20. यह कि किसी तरह का बिवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच कि नियुक्ति भारतीय आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत किया जायेगा तथा दोनों पक्ष यह भी घोषणा करते है कि रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के सभी शर्तो का पालन करेंगे |

21. यह कि प्रथम पक्ष /जमीन मालिक घोषणा करते हैं :-

(a) यदि किसी प्रकार का झूठा दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखंड या भूखंड के अंश पर स्वामित्व संबधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निवटायेगे और इस कारण से निर्माण में हुई बिलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ेगे यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो वह प्रथम पक्ष अपनी ओर से सलटेंगे तथा

Redbrick Infrabuild Private Limited
Sulav Kumar Singh
Director

Nand Kishore Rai Singh
Ranjana
Anjani Kumari
5.10.17

NOTARY
ARUN KUMAR
PATNA BIHAR
Regd. No.-
GOVT. OF BIHAR

Scanned by CamScanner

निर्माण प्रक्रिया पर कोई रुकावट या अवरोध नहीं पैदा करने देंगे या करेंगे |

(b) उक्त भूखंड से सम्बन्धित इस तरह का कोई और एग्रीमेंट किसी अन्य ब्यक्ति या फर्म के साथ नहीं है, अगर एसे पाया जाता है तो द्वितीये पक्ष इस एग्रीमेंट को निरस्त करने हेतु एवं उस भूखंड पर निर्माण हेतु किये गए सभी कार्यों में खर्च की राशी लेने को हक़दार होंगे, साथ ही प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करतें हैं कि निर्माण अवधि में द्वितीये पक्ष के सामने किसी प्रकार कि दिक्कतें पैदा नही करेंगे |

(c) ऊपर वर्णित अनुसूची - A , B और C में वर्णित स्वामी (लेख्यकारी) के अलावा इसमें और किसी अन्य ब्यक्ति का हिस्सा नहीं है, जैसे कोई अन्य भाई, भतीजा, बहन इत्यादि अगर ऐसा होता भी है तो वह सिर्फ प्रथम पक्ष के हिस्से में ही हिस्सेदार होगे न कि द्वितीय पक्ष के हिस्सा से, यानि कि द्वितीय पक्ष का हिस्सा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा तथा प्रथम पक्ष अपने हिस्से से एसे किसी दावे को पूरा करेंगे |

(d) प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) को अनुसूची - A , B और C में उल्लिखित जमीन से सम्बन्धित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधियाचना प्राप्त नही हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है |

(e) यह कि द्वितीय पक्ष (बिल्डर) को उक्त प्लौट के सटे कोई प्लौट विकास करने के लिए मिलता है तो वैसी स्थिति में उक्त प्लौट के साथ बाद में मिले प्लौट को मिलकर एक साथ या ब्लॉकवाईज विकास कर सकते है तथा उक्त प्लौट पर विकास करने हेतु नक्शा स्वीकृति के बाद उक्त प्लौट के सटे कोई प्लौट विकास करने के लिए बिल्डर को मिलता है तो विल्डर उक्त प्लाट से बाद में मिले प्लाट पर आने - जाने के लिए रास्ता का उपयोग करेंगे, जिसमे प्रथम पक्ष को किसी प्रकार का अवरोध करने का अधिकार नही होगा |

Fedbrick Infrabuild Private Limited
Sulav Kumar Singh
Director

अनुसूची – D

जमीन मालिक क्षेत्र का संछिप्त वास्तु शास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण :-

1 ढांचा:- पी० एम० सी ० /सरकारी द्वारा स्वीकृत भूकंप विरोधी आर सी०सी० फ्रेम स्ट्रक्चर ढांचा | (Ratio M201: 1 1/2 : 3)

2 सिविल कार्य :- पी० एम० सी ० द्वारा स्वीकृत ईट, सीमेंट, छड, बालू एवं मसाला प्रथम कोटि का |

Nand Kishore Singh
Rajora

Anjani Kumari
5.10.17

NOTARY
ARJUN KUMAR
GOVT OF BIHAR

Scanned by CamScanner

3 परिसज्जा :-- जमीन मालिक के हिस्से कि सभी दीवारे एवंछत का प्लास्टर होगा एवं बिरला वाल पट्टी करके देंगे |

4 फर्श :- फ्लैट सभी फर्श क्षेत्र मार्बल/ टाइल्स भेरिफाइड टाइल्स का होगा ड्राइंग मार्बल स्लैब का रहेगा |

5 दरवाजे :- सखुआ /हाईउड़ का चौखट एवं पल्ला |

6 खिड़कियाँ :- लकड़ी का फ्रेम में पूर्ण ग्लेज्ड खिड़कियाँ गा एलुमुनियम फ्रेम अच्छा ग्लास के साथ (लोहा के ग्रील के साथ ) |

7 बाथरूम :- पैन एवं बेसिन नल एवं अन्य सामग्री आई० सी० सी० चौखट तथा फर्श, टाइल्स लगेगा | glazed tiles 7 फीट कि ऊंचाई तक सभी Down Slab को water proofing करना है | गिजर पाइप लाइन (गरम ठंडा पानी कि व्यवस्था ) दोनों शौचालय में |

8 बिजली व्यवस्था :- मानक बिजली सामग्री के साथ | आइ० एस ० आई ० ब्रांड का होगा |

9 बाहरी फिनिशिंग:- अपार्टमेंट के बहरी दीवाल के जे० के० वाल पुट्टी बिरला एवं वेदर कोट एसियन पेंट का होगा |

10 एक्स्ट्रा फैसिलिटी :- 1. ग्राउंड फ्लोर पर गार्ड रूम एवं शौचालय का निर्माण करेंगे |

2. अपार्टमेंट के छत पर हट एवं वाटर प्रूफिंग करना है

3. सभी फ्लैटों में इन्टरकौम कनेक्सन रहेगा |

11 फायर सिस्टम :- नियमानुसार |

12 जेनरेटर :- समुचित प्रतिक्षालय बिजली हेतु ध्वनिरहित जेनरेटर आई० एस ० आई० ब्रांड का होगा |

दोनों पक्षों नें अपने संपूर्ण होशो - हवास में समझ बूझ कर अपने तथा अपने उत्तराधिकारियों की सहमती से इस एग्रीमेंट को दस्तखत कर रहे हैं |

गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

1 Aakash Deep
S/o:- ASHOK KUMAR SHRIVASTWA
Vill+Post:- MASTICHAK
P.S – DARZIAPUR
Dist - SARAN
Date: 05/10/2017

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर
Nand Kishore Rai Singh
05/10/17
Ranjana
5.10.17
Anjani Kumari
5.10.17

Redbrick Infrabuild Private Limited
द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर
Sulav Kumar Singh
Director

2

Identify the deponent's signature/L who has/have affixed in my presenc
5.10.17 Advocate

NOTARY
ARUN KUMAR
PATNA, BIHAR
Regd No- 74771
GOVT OF BIHAR

GOVT OF BIHAR

Scanned by CamScanner